

दिनांक 26/09/2025

राजस्व - राजस्व प्रमुख बैंक का नाम परिवर्तित किये जाने बाबत।

राजस्व प्रमुख बैंक के नाम में निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा फरवरी 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का विलय भारतीय स्टेट बैंक में किया गया है।
राजस्व प्रमुख बैंक में प्रार्थी महादेव पिता राजबहादुर के नाम पटवार मण्डल राजबहादुर के राजस्व ग्राम राजबहादुर में वर्तमान रोटेशन जमाबन्दी के खाता संख्या 108 पर स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा राजबहादुर के नाम रहन दर्ज रेकॉर्ड है, जिसे अधिसूचना अनुसार भारतीय स्टेट बैंक शाखा राजबहादुर दर्ज करवाने की कृपा करावे।

दिनांक 26/09/2025

हस्ताक्षर प्रार्थी महादेव

रिपोर्ट पटवार हल्का राजबहादुर तहसील छबड़ा (राज.)

महोदय,
भारत सरकार द्वारा फरवरी 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर का विलय भारतीय स्टेट बैंक में कर दिये जाने से प्रस्तावित संशोधन किया जाना उचित है।

भू-अभिलेख निरीक्षक
26/09/2025

पटवारी
पटवार हल्का
26/09/2025

कार्यालय तहसीलदार छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक: राजस्व/2025/

दिनांक / /2025

मूल ही प्रार्थना पत्र श्रीमान् शिविर प्रभारी महोदय को प्रेषित कर निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एण्ड जयपुर के बजाय भारतीय स्टेट बैंक किया जाना उचित है।

तहसीलदार (मू.अ.)
जिला बारां (राज.)
तहसील छबड़ा (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (राज.)

क्रमांक: राजस्व/2025/149/25

दिनांक 26/09/25 / 2025

हस्त रिपोर्ट तहसीलदार छबड़ा के राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन की स्वीकृति दी जाती है। पटवारी हल्का राजबहादुर राजस्व रिकॉर्ड में उक्त संशोधन की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी छबड़ा
जिला बारां (राज.)
उपखण्ड अधिकारी